

राजस्थान सरकार
निदेशालय, कोष एवं लेखा, राज., जयपुर

क्रमांक : एफ.4(ई)(टी)-1951/2013/अलेसे-III/509

दिनांक :- 23/04/2021

कार्यालय आदेश

राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा के निम्नांकित कार्मिक के कॉलम 04 में अंकित आदेशों की प्रतीक्षा अवधि को राजस्थान सेवा नियमों के नियम 7(8)(बी)(III) के अन्तर्गत नियमित करते हुए कॉलम 05 में अंकित कर्तव्य अवधि सहित, कॉलम 06 में अंकित अवधि का कॉलम 07 में अंकित कार्यालय से वेतन आहरण की एतद्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

क्र. सं.	लिक नं.	नाम/पदनाम	अवधि	कर्तव्य अवधि	वेतन आहरण अवधि	विभाग/कार्यालय जहाँ से वेतन भुगतान किया जाना है :-
			आदेशों की प्रतीक्षा अवधि			
1	2	3	4	5	6	7
1	12284	श्रीमती टीना व्यास, क0 लेखाकार	दिनांक 24.02.2021 से दिनांक 25.02.2021	22.02.2021 से 23.02.2021	22.02.2021 से 25.02.2021	निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, जयपुर

उक्त आदेश निदेशक महोदय से अनुमोदित है।


अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-III)

क्रमांक : एफ.4(ई)(टी)-1951/2013/अलेसे-III/509

दिनांक :- 23/04/2021

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान, जयपुर को कार्मिक का कॉलम 06 में अंकित अवधि के वेतन भुगतान की व्यवस्था कराते हुए सेवा पुस्तिका में इन्द्राज करवाने का श्रम करवाने हेतु प्रेषित है।
2. उप निदेशक(एसीपी) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
3. निजी सचिव निदेशक महोदय।
4. श्रीमती टीना व्यास, क0 लेखाकार, कार्यालय निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान, जयपुर।
5. पदस्थापन सीट/वरिष्ठता सीट/गोपनीय शाखा।


(लेखराम मीणा)
उप निदेशक (कार्मिक-III)